मुस्लिम पर्सनल लॉ

जागरूकता अभियान

क्यों और कैसे ?

जमाअत इस्लामी हिन्द

डी -321, अबुल फ़ज़ल इनक्लेव, जामिआ नगर

नयी दिल्ली-110025

कंसेप्ट पेपर (Concept Paper)

भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ (इस्लाम का पारिवारिक क़ानून) यदि एक ओर बाहरी आक्षेपों के चपेट में है, तो दूसरी ओर इसे आतंरिक रूप से चैलेंज का सामना है| बाहरी आक्षेपों में से एक का संबंध अदालतों के माध्यम से होनेवाले इस्लामी शरीअत विरोधी फ़ैसलों से है, जो क़ानून का दर्जा अपना लेते हैं, तो दूसरे का संबंध विधायिका (लोक सभा व विधान सभाओं) के माध्यम से शरीअत के ख़िलाफ़ बनाए जानेवाले क़ानूनों से है| तीसरी ओर भारतीय संविधान की धारा चौवालीस (44) है, जिसका हवाला देकर कभी अदालतें तो कभी केंद्र सरकार और कुछ राजनीतिक पार्टियां 'समान नागरिक संहिता' (common civil code) का हव्वा खड़ा करती रहती हैं|

मुसलमानों की तरफ़ से इन सारे आक्षेपों का बचाव भलीभांति संभव है, शर्त यह है कि वे स्वंय इस्लामी शरीअत पर पूर्ण रूप से अमल करते हों, उनका समाज शरीअत के क़ानूनों के ख़िलाफ़ न चल रहा हो और वे पारिवारिक जीवन से संबंधित अपने विवादों को देश की अदालतों के बजाय दारुलक़ज़ा, शरई पंचायतों और कौंसलिंग सेंटर्स के माध्यम से हल करने लगें| इसी तरह अगर मुस्लिम समाज निकाह, तलाक़, विरासत, महर व भरण-पोषण और मुस्लिम पर्सनल लॉ से संबंधित अन्य मामलों में पूर्णरूप से इस्लामी शरीअत पर अमल करता हो, तो यह समाज न केवल शान्ति व सलामती का केंद्र बन सकता है, बल्कि हमारे प्रिय देशवासी भी इस्लाम के पारिवारिक क़ानूनों से लाभांवित और मानव-प्रकृति से इसकी अनुकूलता और मानव-जीवन पर पड़नेवाले इसके प्रभाव को जानकार इससे प्रभावित हो सकते हैं|

लेकिन दुर्भाग्य से मुस्लिम समाज में भी अल्लाह और उसके रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) के आदेशों की खुली अवहेलना की जाती है, महिलाओं के साथ अन्याय-अत्याचार और उनके अधिकारों का हनन किया जाता है| फिर जब पारिवारिक विवाद सिर उठाते हैं, तो उनको आपस में बैठकर या दारुलक़ज़ा और शरई अदालतों से सुलझाने के बजाय देश की अदालतों में जाते हैं, जहां काफ़ी राशि ख़र्च करके और वर्षों तक मुक़द्दमेंबाज़ी के बाद इस्लामी शरीअत के विरुद्ध फ़ैसले कराके न केवल शरीअत का मज़ाक़ उड़ाया जाता है, बल्कि दूसरों को इस्लामी शरीअत के न्यायिक क़ानून पर ऊंगुली उठाने का अवसर दे दिया जाता है| इसलिए

शरीअत के क़ानून से अनभिज्ञता हो या उसका खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन हो रहा हो या हिन्दू सभ्यता व संस्कृति के साथ मुस्लिम समाज के घालमेल से पैदा होनेवाली सामाजिक बुराइयां (दहेज, तिलक, बरात और शादी-ब्याह की अनुचित रीति-रिवाज और अनुचित व्यय इत्यादि) ये वे आंतरिक समस्याएं हैं, जिन्होंने इस्लामी शरीअत को बाहरी आक्षेपों की तुलना में अधिक हानि पहुंचाया है, बल्कि बहुत से बाहरी आक्षेप तो आंतरिक बुरे कर्मों, इस्लामी शरीअत से अज्ञानता या उसकी अवहेलना की उपज हैं |

अदालतों के माध्यम से सरकार से समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग हो या मीडिया के माध्यम से इस्लाम के पारिवारिक क़ानूनों पर होने वाले आक्षेप या इस्लाम पर लैंगिक भेदभाव और महिलाओं पर अन्याय व अत्याचार के आरोप, इसकी जड़ और गहराई में जाएँ, तो यह बात सामने आती है कि वास्तव में मुसलमानों ने ही अपने व्यवहार से इस्लाम को बदनाम किया है| हमारे देश के समाज में इस समय इस्लाम की जो रूपरेखा बन रही है कि इस्लाम में महिलाओं का न कोई महत्व है और न कोई अधिकार| पुरुष जब चाहता है उसे तलाक़ देकर अलग कर देता है और एक तलाक़ को काफ़ी समझने के बजाय तीन तलाक़ देकर आपसी संबंध को हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है|

इद्दत (तीन महीना) के बाद उसके गुज़ारे-भत्ते की भी कोई ज़िम्मेदारी उनपर नहीं होती और अगर इन बेसहारा तलाक़ पायी हुई महिलाओं को अदालतों के माध्यम से गुज़ारा-भत्ता दिए जाने का निर्णय होता है, तो मुसलमान उसके विरुद्ध एकजुट होकर पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप की दुहाई देने लगते हैं| मुस्लि म समाज में पुरुषों को महिलाओं पर वरीयता प्राप्त है| पुरुष को तलाक़ का एकतरफ़ा अधिकार प्राप्त है| भारत के संविधान ने महिला और पुरुष को समान अधिकार दिए हैं, जबकि इस्लाम महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम अधिकार देता है| विरासत में उसे पुरुष की तुलना में आधे ही भाग का अधिकारी ठहरा दिया गया है| पुरुष जब चाहता है दूसरी शादी कर लेता है, एक के बजाय चार-चार शादियाँ रचाता और पत्नियों के बीच न्याय नहीं कर पाता, इत्यादि|

मुसलमानों पर यह अनिवार्य है कि वे अल्लाह की धरती पर उसके धर्म की स्थापना करें| वे अपना सम्पूर्ण जीवन अल्लाह के आदेशानुसार व्यतीत करें और हर पल उसकी ख़ुशी को सामने रखें| वे पहले तो यह देखें कि अल्लाह ने किन कामों का आदेश दिया है ? फिर उसपर

अमल करें और देखें कि उसने किन कामों से रोका है और उनसे रुक जाएँ| उनके दीन और ईमान की अपेक्षा है कि वे जीवन के सारे मामलों में अल्लाह और उसके रसूल (सल्ल.) का बिना कुछ कहे सुने उसका अनुसरण करें|

इसी तरह उनका यह भी उत्तरदायित्व बनता है कि वे एक तरफ़ अल्लाह के बन्दों तक उसका पैग़ाम पहुंचाएं, उन्हें सत्यता से अवगत कराएं और उनके समक्ष इस्लामी शिक्षाओं को पेश करें, तो दूसरी ओर मुस्लिम समाज में जो विकृतियाँ उत्पन्न हो गयी हैं, उनके सुधार का प्रयत्न करें और इस्लामी शिक्षाओं और उसके नैतिक सिद्धांतों से मुंह फेरने और उसके विरोध के परिणाम स्वरूप उसमें बिखराव की जो स्थिति पैदा हो गयी है, उसे दूर करने की कोशिश करें| दूसरे शब्दों इस तरह कहा जा सकता है कि दीन का पैग़ाम और समाज-सुधार धर्म-स्थापना के मिशन के दो महत्वपूर्ण अंग हैं|

मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या है ?

अल्लाह ने अपनी पवित्र किताब क़ुरआन मजीद और अपने रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) के ज़रिए से जो संविधान हमें प्रदान किया है, उसके बहुत से विभाग हैं| इस क़ानून का एक विभाग इंसानी समाज से संबंधित है, जिस पर पारिवारिक व्यवस्था की आधारशिला है| इन्हीं क़ानूनों को पारिवारिक क़ानून, फ़ेमली लॉ या मुस्लिम पर्सनल लॉ कहा जाता है| अंग्रेज़ों के शासनकाल में मुसलमानों की मांग पर 1937 ईसवी में शरीअत एप्लिकेशन एक्ट (shariat application act 1937) पास किया गया था| उसके अनुसार निकाह, तलाक़, ख़ुला, ज़िहार, फ़स्खे निकाह (निकाह को ख़त्म करना), परवरिश का हक़, विलायत, मीरास, वसीयत, हिबा और शुफ़आ से संबंधित मामलों में अगर दोनों पक्ष मुसलमान हों, तो शरीअते मुहम्मदी (सल्ल.) के अनुसार उनका फ़ैसला होगा, चाहे उनकी रीति-रिवाज और परंपरा कुछ भी हो| अर्थात यह कि इस्लामी शरीअत के क़ानून को आम रीति-रिवाज पर प्राथमिकता प्राप्त होगी|

भारतीय संविधान के अध्याय-3 के (मौलिक अधिकार) में अक़ीदा, धर्म और अंतरात्मा की आज़ादी को एक मौलिक अधिकार ठहराया गया है| यह धारा वास्तव में मुस्लिम पर्सनल लॉ की सुरक्षा की गारंटी देती है| मुस्लिम पर्सनल लॉ उन क़ानूनों का संग्रह है, जो क़ुरआन और हदीस से निकाल कर बनाए गए हैं और क़ुरआन व हदीस की स्पष्ट शिक्षाओं में किसी परिवर्तन का अधिकार किसी इंसान या इंसानी समुदाय को नहीं है| मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है कि वे

जीवन के सभी पहलुओं में अल्लाह और उसके रसूल के आदेशों को सामने रखें, विशेषकर पारिवारिक जीवन के बारे में क़ुरआन और हदीस में जो क़ानून बयान किए गए हैं, उनपर अपना जीवन व्यतीत करें| इसी तरह यह भी उनपर अनिवार्य है कि अगर इन क़ानूनों के अमल से उनको रोकने का षड्यंत्र किया जाए और उन्हें निरस्त करने या उनको बदल देने का आन्दोलन चलाया जाए, तो वे उनकी रक्षा के लिए प्रयास करें और अपना यह अधिकार मनवाएं कि देश के संविधान के अनुसार उन्हें उनपर अमल करने की आज़ादी है|

यह एक सच्चाई है कि देश की आज़ादी के बाद से मुसलमानों की दीनी, मिल्ली जमाअतों ने समान नागरिक संहिता का विरोध और अदालतों के माध्यम से इस्लामी शरीअत के क़ानून में किए जानेवाले अनुचित हस्तक्षेप के विरुद्ध पूरी ताक़त के साथ आन्दोलन चलाया है| फिर भी जितनी ताक़त से उन्हें समाज के सुधार और आम मुसलमानों को पारिवारिक क़ानूनों और आदेशों से परिचित कराने और इस्लामी शरीअत के क़ानून के साथ किए जानेवाले अन्यायों की मुख़ालिफ़त करनी चाहिए थी, उसपर भलीभांति ध्यान नहीं दिया जा सका| पारिवारिक क़ानूनों के अवहेलना का एक कारण उनकी अनभिज्ञता है और दूसरा मुख्य कारण इस्लाम से दूरी है| हमारे समाज का एक बड़ा वर्ग इस्लाम की मूल और सामाजिक शिक्षाओं से बिलकुल अनजान है| निकाह, तलाक़, मीरास और दूसरे पारिवारिक समस्याओं के बारे में इस्लामी धारणा, शिक्षा और सिद्धांतों से अकसर मुसलमान अनजान हैं, इसलिए ज़रुरत इस बात की है कि मुस्लिम समाज के सुधार व शिक्षण-प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाए|

मौजूदा परिस्थितियों की मांग है कि अब हमें पूरी शक्ति के साथ मुस्लिम समाज के सुधार की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहिए| मुस्लिम समुदाय को पारिवारिक जीवन के सम्बन्ध में इस्लामी शिक्षाओं और सिद्धांतों से अवगत कराना चाहिए| पारिवारिक जीवन में जो बिगाड़ पैदा हो रहा है, या जो खुला उल्लंघन हो रहा है, उनको मिटाने के लिए कोई ठोस क़दम उठाने चाहिए| मुसलमानों को इस बात पर तैयार करने की आवश्यकता है कि वे अपने पारिवारिक विवादों का फ़ैसला इस्लामी शरीअत के अनुसार शरई अदालतों के माध्यम से ही निपटारा कराएं|

इस बात की भी ज़रुरत है कि प्रिय देशवासियों को पारिवारिक जीवन के बारे में इस्लामी क़ानूनों से इस तरह परिचित कराया जाए कि उनपर इन क़ानूनों काप्रकृति के अनुकूल होना स्पष्ट

हो जाए| फिर यह भी कि वे यह जान लें कि मुस्लिम पर्सनल लॉ, नैतिक चरित्र और प्रेम, न्याय और संतुलन का क़ानून है, जो दाम्पत्य जीवन को ख़ुशियों से भर देता है और एक आदर्श परिवार अस्तित्व में आता है| यह इस्लामी क़ानून महिलाओं की इज़्ज़त और सतीत्व और उनके अधिकारों का रक्षक है| फिर यह भी कि यह क़ानून उनके स्वाभाविक स्वतंत्रता का भी रक्षक है| आशा है कि इसके बाद वे समान नागरिक संहिता जैसे अनुचित क़ानून का समर्थन न करेंगे|

अगर मुसलमानों को इस्लाम के पारिवारिक क़ानूनों और आदेशों से भलीभांति परिचित करा दिया जाए, मुसलमान इस्लामी शरीअत के क़ानूनों के उल्लंघन से बचेंगे और उनका जीवन इस्लामी शरीअत के क़ानूनों के अनुसार गुज़रने लगे, तो एक सभ्य व आदर्श परिवार अस्तित्व में आएगा, जिसके सौभाग्य से दूसरे देशवासी भी लाभांवित हो सकेंगे|

जमाअत इस्लामी हिन्द की ओर से चलाया जानेवाला 'मुस्लिम पर्सनल लॉ जागरूकता अभियान' ऊपर लिखे उद्देश्यों को प्राप्त करने में इंशाअल्लाह सहायक सिद्ध होगा|